राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पेडन सहायक कलक्टर घाटोल जिला बांसवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी - अंकित सामरिया आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या - 32/2023
GCMS - 06/2023

दर्ज दिनांक 04/8/23

उनवान

लीला पत्नी लालजी पटेल नि. बड़ी पड़ाल तह. घाटोल, बांसवाड़ा
बनाम

तहसीलदार साहब घाटोल जिला बांसवाड़ा (राज.)

वाद अंतर्गत धारा - 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1.) श्री युवराज सिंह शक्तावत (वकील वादी)
2.) पैरोकार सरकार / तहसीलदार घाटोल

निर्णय

निर्णय दिनांक 13.5.25

वादी द्वारा एक वाद-पत्र अंतर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न है। आया वाके बड़ी पड़ाल तह. घाटोल स्थित खसरा न. 2427/1629 क्षे. 0.17 हेक्टेयर किस्म आबादी होकर वादिया का कब्जा काश्त है। वादिया द्वारा उक्त खसरा उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक 1252-53 द्वारा 29.12.2001 को आबादी संपरिवर्तन हो श्री सरकार दर्ज रेकार्ड हुआ। अतः खसरा संख्या 2427/1629 क्षेत्र. 0.17 हेक्ट. को वादिया के नाम दर्ज किया जाए।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को वास्ते जवाब तलब किया गया, प्रतिवादी तहसीलदार घाटोल ने अपने जवाब में वाद-पत्र के चरण संख्या 01 से 3 स्वीकार किए तथा संपरिवर्तन द्वारा श्री सरकार आबादी दर्ज होना स्वीकार किया।

उपखण्ड अधिकारी
घाटोल

उभय-पक्ष के जवाब के आधार पर निम्न तनकियाँ कायम कर विवेचित की गई:-

1) आया कि ग्राम बड़ी पड़ाल तह० घाटोल जिला बाँसवाड़ा स्थित आराजीयात खसरा नं० 2427/1629 रकबा 0.17 हेक्टेयर किस्म आबादी वादिया की कब्जा काश्त एवं स्वामित्व की आराजीयात है। ....जिम्मे वादी

2) आया वाद-पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि संपरिवर्तन आदेश के पश्चात् श्रीसरकार दर्ज हुई। ......जिम्मे वादी

3) आया वादिया राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत आबादी श्रीसरकार भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारी है। ....जिम्मे वादी

4) अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी घाटोल जिला बांसवाड़ा

वादिया द्वारा दिनांक 25.2.25 को साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किया तथा प्रदर्श-01 संपरिवर्तन आदेश, प्रदर्श-02 नामा० संख्या 164 जिल्द, प्रदर्श-03 जमाबंदी संवत् 2056, प्रदर्श-04 जमाबंदी संवत् 2074-77 (खाता संख्या 313), प्रदर्श-05 जमाबंदी संवत् 2070-73 (खाता संख्या 01) पेश किए, जिरह प्रतिवादी तथा पुनः परीक्षण शून्य।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन, गहन चिंतन व मनन किया गया। जिसके क्रम में तनकीवार निर्णय निम्न है:-

तनकी नं० 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था संलग्न मौका पर्चा पटवार हल्का की रिपोर्ट अनुसार वादी का कब्जा होने से वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
घाटोल

तनकी संख्या-02 को सिद्ध करने का भार वादी का था वादी द्वारा संपरिवर्तन आदेश की प्रमाणित (पटवार हल्का) द्वारा पेश की है, अतः तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है

तनकी संख्या-03 को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी घाटोल के प्रकरण संख्या - 81/2017 का निर्णय प्रस्तुत किया, अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या-04 अनुतोष

वादी तनकी संख्या-02 से 3 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही है, अतः वादियों को खसरा नं. 2427/1629 का खातेदार कृषक घोषित कर वादियों का वाद स्वीकार फरमाया जाता है

-: आदेश :-

वादियों का दावा बाबत इस्तकराहक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है वादियों को खसरा नं. 2427/1629 का खातेदार कृषक घोषित किया है तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है मुताबिक न्यायालय आदेश राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक इन्द्राज करें।

निर्णय पृथक से पत्रों डिक्री तैयार की जावे।

आज दिनांक 13.05.25 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मोहर युक्त जारी किया गया।

(अंकित सामरिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर घाटोल
जिला बाँसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी घाटोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल जिला बांसवाड़ा

डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(आ. 20 रूल 67 जाप्ता दिवानी)

अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – घाटोल

नाम पिठासीन अधिकारी श्री अंकित सामरिया (R.A.S.)

01. श्रीमती लीला पत्नि लालजी पटेल निवासी बडी पडाल तहसील घाटोल जिला बाँसवाडा।

बनाम वादी

01. तहसीलदार साहब घाटोल।

प्रतिवादी

दावा बाबत – 88,209 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नंबर – 32 सन् – 2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईमफिसाल कतई रुबरू...

...ब हाजरी..मिनजानिब मुदई व..

....मिनजानिब मुदयलह पेष होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वा

ग्राम बडी पडाल, पं.ह. बडी पडाल तहसील घाटोल के जमाबंदी संवत् 2070–73 का खाता संख्या 01 नया, 01 पुराना के खसरा नं. 2427/1629 रकबा 0.17हैक्ट. किस्म आबादी भूमि वादियाँ को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार घाटोल को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें।

नीज..मुबनीग...बाबत.......,...खर्चा इ

मुकदमे के मय सुद व शहर.....................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलयाबी तक..............

....का अदा करें।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 मई 2025 जारी की गई।

मुहर

दस्तखत : अंकित सामरिया (आर.ए.एस.)

औहदा : उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी घाटोल

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायल	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताजा वकील			खर्चा गवाह		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बबत इजराय हुक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मिजान		
मिजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए